



2026:AHC:19529

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2615 सन् 2026

संतोष कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : महावीर यादव, संजय सिंह गहरवार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिन के दौरान प्रतिवादियों की सूची में आवश्यक सुधार करने की अनुमति दी जाती है।
- दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ यह रिट याचिका दायर की है:

(i i) प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। 2-उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, याचिकाकर्ता का नाम अराज़ी संख्या 2162M क्षेत्रफल 0.0570 हेक्टेयर पर हस्तांतरणीय अधिकार के रूप में दर्ज करें, राजस्व अभिलेख में गैर-हस्तांतरणीय अधिकार के स्थान पर, जो सोरांव गांव (महाराष्ट्र), तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज में स्थित है, कृषि आवंटन दिनांक 29.10.2009 के अनुसरण में, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 30.03.20210 को अनुमोदित किया गया है, और उनके समक्ष लंबित वाद संख्या T-T-202502030406193 (संतोष कुमार बनाम ग्राम सभा) का निपटारा करें, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 76 के तहत दायर किया गया है, निर्धारित अवधि के भीतर।

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 76 के तहत प्रतिवादी संख्या के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 2-उप-मंडल मजिस्ट्रेट,

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

तहसील हांडिया, जिला प्रयागराज, जिसका वाद 2023 से विचाराधीन है। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2-उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील हांडिया, जिला प्रयागराज इस मामले में शीघ्र ही उचित निर्णय लेंगे।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आवेदन पर बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, किसी भी पक्ष को शीघ्र ही उचित आदेश पारित करें।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की योग्यता पर निर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

28 जनवरी, 2026

टी.एस.